भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 280
21 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

इस्पात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि

280 **श्री अरविंद गणपत सावंत :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इस्पात मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत निधि आवंटित की है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसे पीएसयू के नाम क्या हैं, किन क्षेत्रों में सीएसआर निधि का उपयोग किया गया था, लाभार्थियों की संख्या कितनी है और किन शीर्षों (हेड्स) के तहत व्यय किया गया था तथा इसका स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सीएसआर के तहत व्यय के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में, विशेषकर पिछड़े और अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सीएसआर व्यय सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने का है;

(ङ) क्या अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है या शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% हिस्सा निर्धारित करना होता है। पिछले वर्ष की अप्रयुक्त राशि, यदि कोई हो, तो अगले वर्ष उस उद्देश्य के लिए उपयोग हेतु आगे ले जाई जाती है, जिसके लिए उसे आवंटित किया गया था।

(ख) इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सीपीएसई द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

सीपीएसई का नाम	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	16193	13809	5338
एनएमडीसी लिमिटेड	19707	19114	16630
मॉयल लिमिटेड	1666	1526	1653
मेकॉन लिमिटेड	34.82	108.91	6.26
एमएसटीसी लिमिटेड	378	481	735

जारी.....2/-

सीएसआर गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थायी आय सृजन, दिव्यांगों को सहायता, जल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, खेल प्रशिक्षण, पारंपरिक कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। सीएसआर कार्यों से समाज को व्यापक लाभ मिलता है, इसलिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किए गए अलग-अलग कार्यों, स्थान-वार और संबंधित व्यय शीर्ष के कारण लाभार्थियों की सटीक संख्या को मापना संभव नहीं है और इसका रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता है।

(ग) सीएसआर व्यय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों द्वारा शासित है।

(घ) सीएसआर निधि का आवंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है, इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सीएसआर परियोजनाएं मुख्य रूप से इस्पात संयंत्रों, इस्पात टाउनशिपों और खदानों के आस-पास के क्षेत्रों में चलाई जाती हैं, जहां मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की आबादी निवास करती है

(ङ) और (च): उपरोक्त (घ) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता है।

*****